संचिका सं. :- 04/न्या०-06/2014/2949/न0वि0एवंआ0वि0

# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अपर सचिव-सह-उपनिदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् / नगर पंचायत ।

पटना, दिनांक: 11/11/19

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या - **W.P. (C) 55/2003 E.R. Kumar & ANR Vs. Union of India** में शहरी आश्रय विहीनों हेतु पारित न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में शीत ऋतु (ठण्ड के मौसम) में आश्रय विहीनों के लिए **अस्थायी आश्रय स्थल का प्रबंध** किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 2770 दिनांक- 26.11.2018, पत्रांक- 2828 दिनांक- 30.11.2018, पत्रांक- 2862 दिनांक- 03.12.2018 एवं पत्रांक- 3142 दिनांक- 12.12.2018.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र का स्मरण किया जाए । प्रसांगिक पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या - **W.P. (C) 55/2003 E.R. Kumar & ANR Vs. Union of India** में पारित न्यायादेश के आलोक में शीत ऋतु (ठण्ड के मौसम) में आश्रय विहीनों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल का प्रबंध किया जाना है । उक्त से सम्बंधित निदेश राज्य स्तरीय अनुश्रवन कमिटी के द्वारा भी दिनांक-23.09.2019 की आयोजित बैठक में दिया गया है । इससे सम्बंधित पूर्व में अनुमोदित विस्तृत कार्य योजना की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रसांगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा वर्णित कार्य के लिए टेंट, गद्दा, कम्बल आदि की व्यवस्था किराये पर किया जा सकता है । कार्य की महत्ता एवं समयाभाव को ध्यान में रखते हुए वर्णित सामाग्री सम्बंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन आदि कार्य के समय चयनित एजेंसी/ वेंडर से स्वीकृत दर पर प्राप्त किया जा सकता है । यह व्यवस्था आवश्यकतानुसार 01 दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक के लिए किया जाना है एवं अस्थायी आश्रय गृह हेतु चयनित भूमि पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की सहमति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाए ।

उक्त के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि इस कार्य हेतु राशि का व्यय योजना के SUH घटक से किया जाएगा । SUH घटक में राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योजना की दूसरी घटक से राशि व्यय करेंगे तथा वर्णित घटक में राशि प्राप्त होने पर उस राशि को सम्बंधित घटक की राशि से समायोजित कर लेंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्णित वाद की अगली सुनवाई 19th नवम्बर 2019 को निर्धारित है । अतः निर्धारित तिथि के पूर्व नगर निकायों द्वारा किये गए वैकल्पिक व्यवस्था का अनुश्रवन करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जाए ।

कृपया इसे शीघ्र प्राथमिकता दी जाए ।

विश्वासभाजन

8/11/19

अपर सचिव-सह-उपनिदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग